-1-

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक– /2018 निगरानी
निगरानी–4038/2018/विदिशा/भू.रा.

श्रीमती विमला देवी, पत्नी श्री नारायणदास,
निवासी – वार्ड नं.– 10, हनुमानपंथ
सिरौंज जिला विदिशा म0प्र0

———आवेदिका

श्री विनोद द्विवेदी द्वारा आज दि. 2-7-018 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 5-7-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 2-7-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार,
तहसील सिरौज जिला विदिशा म0प्र0

———अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय माननीय तहसीलदार मण्डल –1 तहसील सिरौंज जिला विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 53/ए–68/2017–18 मे पारित आदेश दिनांक 25–06–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय,

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति........
पृष्ठ क्र........ से ....
दिनांक 2-7-18
हस्ताक्षर व नाम........

आवेदिका की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

1. यहकि, आवेदिका कई वर्षो से हनुमानपंथ सिरौज मे निवास कर रही है, आवेदिका के ससुर भी कई वर्षो से इसी मकान मे निवास करते चले आ रहे है, वर्तमान मे आवेदिका का पक्का मकान बना है, आवेदिका का परिवार निवास कर रहा है।
2. यहकि, हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन तहसीलदार सिरौंज के समक्ष प्रस्तुत किया

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4038/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	